Review Of Research
Vol. 1, Issue. 8, May. 2012
ISSN:- 2249-894X
Available online at www.lbp.world

ORIGINAL ARTICLE

मानव अधिकार–ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

श्री देवेन्द्र
व्याख्याता –समाजशास्त्र राजकीय महिला महाविद्यालय
सादुलशहर जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

मुख्य शब्द :– मानव अधिकार,कमजोर वर्ग,समतावादी समाज.

सारांश :–

भारत में आजादी के बाद संविधान लागू किया गया। इससे पूर्व समाज में असमानताएं व्याप्त थी राजनैतिक प्रजातंत्र लाने के लिये राम राज्य की बहस छिड़ गई। पश्चिम में प्रजातंत्र के लक्षण है चुनाव,सरकार निर्माण प्रतिनिधित्व पूर्ण शासन, उत्तरदायी शासन व कानून का शासन। भारत में भी इसी तर्ज पर कानून का शासन लागू किया गया लेकिन कानून का पालन करने वाले भ्रष्ट है,पुलिस का आंतक समाज में है कोई पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। न्याय विभाग पूर्णतः निष्पक्ष नहीं है,वकील सब कुछ जानते हुये भी अपराधी को संरक्षण दे देते है समाज में संवेदनशीलता समाप्त हो रही है। न्याय व्यवस्था में सुधार के लिये मानव अधिकार आयोग,महिला आयोग का गठन किया गया, मानव अधिकार आयोग प्रजातंत्र और समाजिक न्याय को व्यावहारिक रुप से लागू करने के लिये बनाया गया।

मानव अधिकार क्या है ?

इसके सम्बन्ध में माननीय कृष्णा अय्यर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के विचार उद्धृत करना चाहूँगा मानव कौन है ? शरीर/संस्कृति । प्रकृति में मानव के रुप में जन्म लेने वाला मानव है चाहे वह कोई भी जाति वर्ग धर्म प्रजाति से हो और मानव अधिकार वह अधिकार जो उसे प्रकृति ने प्रदान किये है ये जन्मसिद्ध अधिकार ये नैसर्गिक अधिकार होते है परन्तु संस्कृति की दृष्टि से मानव दो भागों में बंट जाता है– पहला महामानव और दूसरा लघु मानव, ।महामानव ऐसा राक्षस होता है जिसमें राक्षसी प्रवृतियां होती है और समाज में यह अभिजात वर्ग कहलाता है और लघु मानव वह मनुष्य है जिस पर अत्याचार होता है। मानव अधिकार तभी सफल हो पायेंगें जब महामानव सामान्य मनुष्य बनेगा इन्सान इन्सान नहीं रहना चाहता भगवान बनना चाहता है सब उसके अनुसार ही हो। स्कूलों में बच्चों को बड़े नेताओं का भाषण सुनने के लिये घण्टो तक धूप में बैठाकर रखते है मंत्री आदि वी.आई.पी जब सड़क से गुजरते है तो आम जनता का रास्ता रोक दिया जाता है ये सब सांमतवादी सोच का प्रतीक है लोक राज्य में सभी को समानता का स्वंतंत्रता का अधिकार है कई ऐसे लोग होते है जो महामानव बनने के लिये लघु मानव को उकसाते है एक महिला महिला की विरोधी होती है आजादी के लगभग 70 वर्ष पश्चात् ये आत्ममंथन का विषय है कितने पिछड़ों का विकास हो सका है विकास करने के बनायी एन. जी.ओ. लोगों का कितना पैसा खा गयी कश्मीर में सेना के द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया दलित और महिला उत्थान के नाम पर अपनें वोट बैंक सुरक्षित किये गये यह वैसा ही दृश्य है जैसा गुलाम भारत में सामन्तों के समय में हुआ करता था जिसके लिये यह कहा जा सकता है कि हम एक मछली से ये पूछें कि ऐ मछली बता तुझे तेल में तला जाये या कि घी में। यद्यपि मानव अधिकारों की

रक्षा के लिये कई कानून बनें लेकिन मानव का शोषण रुक नहीं पाया जिस वर्ग के मानवों के अधिकारों का सबसे अधिक हनन हुआ वे वर्ग है महिला,बच्चे और दलित।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये कई कानून बने हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में उन्हें तलाक और भरण–पोषण का अधिकार दिया गया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में स्त्री को पैतृक सम्पत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में दहेज को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया। प्रसूति अवकाश अधिनियम 1961 के तहत कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान दो बार सवेतनिक प्रसूति अवकाश देने के प्रावधान किये गये। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को कानूनी संरक्षण देने,आर्थिक मुआवजा देने तथा भावनात्मक प्रताड़ना से बचाव करने के प्रावधान बनायें गये।

बालकों के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में न्यूनतम मजदूरी तय की गयी।खान अधिनियम 1952(संशोधित1983) में 18 वर्ष से कम उम्र के खानों में कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। बाल अधिकार अधिनियम 1959 के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की गई। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अन्तर्गत 25 ऐसे उद्योगों में बच्चों से श्रम लेने को प्रतिबंधित किया जो स्वास्थ्य के लिये खतरनाक हो। कानून का उल्लंघन करने पर दस से बीस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया।किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत बालगृहों के निर्माण व रखरखाव के प्रावधान किये गये। इन कानूनों द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक उत्थान के प्रयास किये गये।

दलितों के लिये संविधान के अनुच्छेद 15(4) सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर पिछड़ें हुये नागरिकों व अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिये विशेष उपबंध बनाने के राज्यों को अधिकार दिये गये। अनुच्छेद 16(4) के तहत जिस वर्ग के लोगों का राज्य सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उन लोगों के लिये राज्य सेवा में स्थान आरक्षित रखने के प्रावधान बनाये गये। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के किसी भी आचरण को दण्डनीय माना गया। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालक की देखरेख व शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति व कमजोर वर्गो आर्थिक तथा शैक्षणिक हितों को संरक्षित किया गया। अनुच्छेद 243 (डी) के तहत पंचायतो अनुसूचित जाति जनजाति के लिये स्थान सुरक्षित किये गयें। अनुच्छेद 243 (टी) के तहत नगरपालिकाओं में इन वर्गो के लिये स्थान निर्धारित किये गये। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन व उनके कल्याण संबंधी संघ द्वारा नियंत्रण के प्रावधान किये गये।

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति को यदि कोई घृणात्मक पदार्थ पीने पर मजबूर करने,उसके पास मलमूत्र, कूड़ा–करकट व पशु शव इकट्ठा करने, नंगा करने, चेहरे को काला पोतकर घुमाने, उसकी भूमि पर कब्जा करने, बेगार लेने, मतदान को प्रभावित करने, परेशान करने के लिये वाद दायर करने महिला का अपमान करने या लज्जा भंग करने लैंगिक शोषण करने अनुसूचित जाति जनजाति के प्रयोग में लाये जाने वाले सार्वजनिक जल स्त्रोत या जलाशय को गंदा करने, सार्वजनिक सम्पति को प्रयोग से वंचित करने उसका मकान छोड़कर जाने के लिये मजबूर करने के लिये यदि कोई व्यक्ति प्रयास करेगा तो उसे कम से कम छः माह से पांच वर्ष तक कारावास एवं नगद जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। धारा 33(2),v के तहत यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के दण्डनीय कारावास से सम्बन्धित अपराध यदि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ करेगा तो अनुसूचित मामलों के अन्तर्गत उसे आजीवन कारावास एवं जुर्मान से दण्डित किया जायेगा। धारा 33 (vii) के तहत यदि अपराध में संलिप्त व्यक्ति लोक सेवक है तो उसके लिये कारावास की अवधि कम से कम एक वर्ष होगी। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में अनुसूचित वर्गो की कृषि भूमि की ब्रिक्री, दान या वसीयत शून्य मानी जायेगी। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत छुआछूत सम्बन्धी किसी भी आचरण को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। परन्तु इन कानूनों की समीक्षा करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि व्यवहारिक क्षेत्र में ये कानून कमजोर वर्गो को कभी भी न्याय दिलाने में सफल नहीं हुये। इसका मुख्य

कारण जागरुकता का अभाव, प्रशासनिक व राजनैतिक भ्रष्टाचार है। जब तक ये कानून व्यवहारिक क्षेत्र में लागू नहीं हो पायेगें तब तक मानव अधिकारों की बात करना बेमानी होगा। इन्हें सफलता पूर्वक लागू करने के लिये कुछ सुझाव प्रेषित है। प्रत्येक समाज में अभिजात वर्ग ऐसा वर्ग है जिसका आकार बहुत छोटा है और जो कभी समाप्त नहीं हो सकता । मध्यम वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है और यही वर्ग सबसे ज्यादा मानव अधिकारों की मांग करता है। निम्न वर्ग की संख्या मध्यम वर्ग से थोड़ी कम है। यदि अधिकांश वर्ग मध्यम वर्ग में रुपान्तरित हो जाये तो सारी समस्यायें निपट सकती है। अधिकारों की जागरुकता के साथ–साथ यह परिवर्तन लाया जा सकता है कमजोर वर्ग को देर से विवाह करने तथा कम संतान पैदा करने के लिये प्रेरित कर इनकी संख्या कम की जा सकती है और जागरुकता लाने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। ये एक ऐसा शस्त्र है जो उच्च वर्ग के खौफ को रोक सकता है जिसके माध्यम से समाज में समता व समानता लायी जा सकती है। गरीब होने की बजाय बेवकूफ होना ज्यादा शर्म की बात है इस संबंध में अष्टवक्र का उदाहरण अत्यन्त प्रासंगिक है। कि विद्वान की पहचान मनुष्य के ज्ञान से होती है चमडी़ की पहचान करने वाले लोग चमार होते है ज्ञान मनुष्य को अन्दर से मजबूत बना देता है।

आजकल मीडिया का क्षेत्र क्रान्ति के दौर से गंजर रहा है मीडिया राजनैतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जहां कहीं कमजोर वर्ग या व्यक्ति का शोषण हो तो मीडिया के द्वारा उसका सीधा प्रसारण कर दिया जाये तो मानव अधिकारों का हनन करने वाले शक्तिशाली लोग भी डरने लग जाते है। जिन क्षेत्रों में मानव अधिकारों के हनन की संभावना अधिक हो वहां कैमरों को लगाया जा सकता है। सरकारी कार्यालयों, पुलिस विभाग, न्याय आदि विभागों में कैमरे लगा कर सभी कार्यवाही के सचित्र दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकते है। जरुरत होने पर इनकी समीक्षा की जा सकती है। इन सुझावों पर अमल करके हम काफी कुछ मानव अधिकारों को व्यवहारिक क्षेत्र में लागू करने में सफल हो सकते है और ऐसे मानवतावादी समाज का निर्माण कर सकते है जो सभी के लिये कल्याणकारी हो।

संदर्भ सूची

1. Jastice Krishan Iyers Book-Off the Bench
2. UGC Course curriculum Report on HRED-2001
3.Human Dignity vol.1,2003-IHRED.Journal
4. Human Dignity vol.2,2007-IHRED.Journal
5.Indian constitution
6. Indian penal code 1860
7 Hindu law